"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]　　रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2023—भाद्रपद 10, शक 1945

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 जुलाई 2023

क्रमांक ई 1-01/2023/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रोहित व्यास, भा.प्र.से. (2017) आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई, जिला-दुर्ग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अपर कलेक्टर, जिला-दुर्ग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2.　सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई, भा.प्र.से. (2018) आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अपर कलेक्टर, जिला-सरगुजा का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.

3. चयनित अभ्यार्थियों को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा की उनके वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे.

4. चयनित अभ्यार्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना जिले में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा. निर्धारित समय सीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा.

5. चयनित अभ्यर्थियों में से क्रमांक 02, एवं 05 के अभ्यर्थी जिला बेमेतरा एवं सुकमा में जिला उपभोक्ता आयोग कार्यालय का संचालन प्रारंभ होने के 30 दिवस के भीतर पदस्थापना जिले में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा. जिला बेमेतरा एवं सुकमा में नियुक्त सदस्यों को जिला उपभोक्ता आयोग कार्यवाही प्रारंभ होने उपरांत नियमानुसार वेतन एवं भत्ते की पात्रता होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 जुलाई 2023

क्रमांक एफ 2-03/2023/30/सं.—राज्य की कला, संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देने सांस्कृतिक परंपरा के अंतर्गत माता कौशल्या जन्मभूमि के वैभव को विश्व पटल पर स्थापित करने एवं महिला सशक्तिकरण, कार्यशील कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं कला दलों के सतत् विकास हेतु "माता कौशल्या महोत्सव" का समारोह प्रतिवर्ष मनाने हेतु निम्नानुसार नियम बनाता है अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम एवं विस्तार :—**
   1) ये नियम "माता कौशल्या महोत्सव" कहलायेंगे.
   2) ये नियम इसके प्रकाशन की तिथि से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषा :—**
   1) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य.
   2) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन.
   3) "विभाग" से अभिप्रेत है संस्कृति विभाग.
   4) "संचालनालय" से अभिप्रेत है संचालनालय, संस्कृति एवं राजभाषा.
   5) "संचालक/आयुक्त" से अभिप्रेत है संचालनालय/आयुक्त, संस्कृति एवं राजभाषा.
   6) "महोत्सव" से अभिप्रेत है रामायण आधारित धार्मिक भजन, गीतसंगीत, नृत्य-नाटिका, संगोष्ठि, परिचर्या/प्रदर्शनी.

3. **उद्देश्य :—**
   1) सांस्कृतिक परंपरा के अंतर्गत माता कौशल्या जन्मभूमि के वैभव को विश्व पटल पर स्थापित करना.
   2) महिला सशक्तिकरण, कार्यशील कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं कला दलों के सतत विकास हेतु प्रयास करना.
   3) राज्य की कला, संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देना.

4. **कार्यक्रम आयोजन :—**
   1) यह त्रिदिवसीय आयोजन प्रतिवर्ष अप्रैल/मई माह में आयोजित किया जायेगा.
   2) दैनिक समाचार पत्रों तथा संचालनालय के सूचना पटल, सोशल मिडिया एवं वेबसाईट के माध्यमों से सूचना प्रसारित की जाएगी.
   3) प्रतिवर्ष कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करना.
   4) रामायण आधारित धार्मिक भजन, गीतसंगीत, नृत्य-नाटिका, संगोष्ठि, परिचर्या एवं महिला सशक्तिकरण पर आधारित विभागीय प्रदर्शनी का आयोजन.

5) छत्तीसगढ़ के कलाकारों को मानदेय भुगतान "छत्तीसगढ़ लोक कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम 2021" के अंतर्गत होगा एवं अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को मानदेय राशि का भुगतान हेतु संचालक द्वारा विभागीय समिति की अनुशंसा पर देय होगा.

5. **विभागीय समिति :—**

1) आयुक्त/संचालक द्वारा नामांकित विभागीय समिति के सदस्य होंगे.

2) कार्यक्रम की रूपरेखा तथा अनुमानित वित्तीय बजट तैयार करेंगे.

6. **बजट आहरण :—** आयोजन में होने वाले व्यय विभागीय मद मांग संख्या 26, लेखा शीर्ष, 2205 कला और संस्कृति, 102 कलाओं और संस्कृति का संवर्धन, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य), 5753 समारोह हेतु अनुदान, 74-मेला, उत्सव, प्रदर्शनी आयोजना मद से राशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से देय होगा.

7. **प्रशासनिक विभाग/नोडल ऐजेंसी :—**

1) माता कौशल्या महोत्सव कार्यक्रम का प्रशासनिक विभाग संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन होगा तथा इसके क्रियान्वयन हेतु नोडल ऐजेंसी संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, रायपुर होगी.

2) किसी भी कार्यक्रम संबंधी विवाद अन्य विवाद पर आयुक्त/संचालक, संस्कृति का निर्णय अंतिम होगा.

3) माता कौशल्या महोत्सव को सांस्कृतिक पंचांग में शामिल करते हुए एक महोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जायेगा. इस संबंध में कोई अपील अथवा न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकेगा.

8. **नियमों में संशोधन :—** यदि इन नियमों के किसी उपबंधों में कोई संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हो तो उक्त संबंध में यथोचित कारण दर्शाते हुए नियमों में संशोधन किया जा सकेगा.

क्रमांक एफ 4-2/2023/30/सं. नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 जुलाई 2023

खुमान साव सम्मान

प्रस्तावना :— छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग ने छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में उपलब्धि तथा दीर्घ साधना को सम्मानित करने और इनमें कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राज्य स्तरीय सम्मान की स्थापना की है. इस पुनीत कार्य में व्यक्तियों के योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को "खुमान साव सम्मान" देने का निर्णय लिया है.

इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं —

1. **संक्षिप्त नाम :—**

1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "खुमान साव सम्मान नियम-2023" है.

2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषा :—** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

अ. "व्यक्ति" से तात्पर्य एक व्यक्ति से है.

ब. "निर्णायक मंडल" से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है.

3. **सम्मान का स्वरूप :—** छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष "खुमान साव सम्मान" राशि रुपये 1 लाख (रुपये एक लाख) नगद एवं प्रशस्ति पत्र के रूप में दी जायेगी. सम्मान, छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा.

4. **निर्णायक मंडल का गठन :—** राज्य शासन, लोक संगीत क्षेत्र के प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञों का एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो अधिकतम पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा :—

1. कुलपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ अथवा उनके द्वारा मनोनित सदस्य (उक्त विधा का प्राध्यापक)

2. अन्य चार प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञ छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद् के अंतर्गत — सदस्य
   (1) कला अकादमी के अध्यक्ष
   (2) कला अकादमी के सदस्य
   (3) उप संचालक, संस्कृति एवं राजभाषा
   (4) प्रतिष्ठित लोकसंगीत

5. **निर्णायक मण्डल की शक्तियाँ :—**

(1) निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अंतिम रूप से चयनित एक व्यक्ति की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जाएगी.

(2) सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.

(3) संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्तियों के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाए.

(4) प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए एक व्यक्ति का चयन होगा.

(5) निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.

(6) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा भत्ता देय होगा.

6. **चयन की प्रक्रिया :—** सम्मान के लिए उपयुक्त व्यक्ति के चयन की प्रकिया निम्नानुसार रहेगी :-

(1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा द्वारा प्रमुख समाचार-पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा एवं विषय विशेषज्ञों से भी नियमानुसार प्रविष्टियां आमंत्रित की जावेंगी. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी.

(2) प्रविष्टि संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा को प्रस्तुत की जावेगी. प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :-
   क. व्यक्ति का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ.
   ख. छत्तीसगढ़ मूल निवासी एवं आधार कार्ड अनिवार्य (सत्यापित छायाप्रति).
   ग. छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी.
   घ. यदि कोई अन्य सम्मान प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण.
   च. छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण एवं उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रकाशित सामग्रियों की छायाप्रति. (उपलब्धतानुसार)
   छ. छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात् पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के मुखपृष्ठ की फोटो प्रति (सत्यापित) यदि कोई हो.
   ज. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के संबंध में संबंधित व्यक्ति की लिखित सहमति.

(3) अ. चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी.
   ब. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा सम्मान हेतु विचारणीय नहीं है.

(4) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र–व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(5) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा.

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को संबंधित सम्मान वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा —

क्र.	सम्मान हेतु व्यक्ति के नाम, पता एवं मोबा.नं. तथा आधार कार्ड की छायाप्रति	जन्मतिथि एवं आयु	प्रस्तावक का नाम व पता	लोक संगीत की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा एवं कार्य अवधि	प्राप्त पुरस्कार/ सम्मान (अंतर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय/प्रदेश स्तरीय/जिला स्तरीय)	यदि शासकीय सेवारत हो तो जानकारी	सम्मान ग्रहण करने हेतु सहमति पत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(7) पंजीयन के पश्चात् संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जावेगी —

1. व्यक्ति का नाम एवं पता
2. प्रस्तावक
3. कलाकार की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा
4. प्राप्त पुरस्कार/सम्मान
5. प्रमाण/टिप्पणियाँ
6. सम्मान ग्रहण करने बाबत् सहमति है/नहीं है.

7. **चयन का मानदंड :**—सम्मान के लिए छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे :—

(1) सम्मान के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे व्यक्ति का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो.

(2) निर्णायक मण्डल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के छत्तीसगढ़ी लोक संगीत कार्यों का मूल्यांकन होगा.

(3) व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्मान के लिए प्रस्तावित व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवा की है.

(4) सम्मान चूंकि छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के समग्र योगदान के आधार पर दिया जाएगा इसलिए छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के उत्कृष्ट कार्य करने वाले द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है.

(5) यह भी देखा जाएगा कि छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में नयी पद्धति और नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है.

(6) निर्णायक मण्डल के अशासकीय सदस्य के परिवार जन उस वर्ष के सम्मान के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेगी, जिस वर्ष के सम्मान के निर्णायक मण्डल में व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति सदस्य है.

(7) यदि किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी ने राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार प्रदान करने हेतु स्वयं ही विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया हो अथवा उसके नाम का प्रस्ताव उसके संबंधित कार्यालय के माध्यम से विभाग में प्राप्त हुआ हो अथवा अन्य व्यक्ति/कार्यालय/संस्था द्वारा उसका नाम सम्मान/पुरस्कार देने हेतु प्रस्तावित किया गया हो, तो उक्त सभी स्थितियों में संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का प्रकरण नियमों के तहत गठित निर्णायक मंडल

(जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा. सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर ही उसका प्रकरण विभाग द्वारा निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

(8) यदि निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति द्वारा स्वत: ही स्व-विवेक से विचार करते हुए, किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार देने के लिए चयनित किया जाना हो तो उसके चयन के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, समन्वय से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा.

8. **सम्मान की घोषणा :—** निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से संस्कृति विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्तियों की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

9. **अलंकरण समारोह :—** सम्मानों का अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा द्वारा आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थितियों में सम्मानित व्यक्ति अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी. सम्मान प्राप्त व्यक्ति को शासन के द्वितीय श्रेणी अधिकारी के समकक्ष रेल एवं वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

10. **व्यय की संपूर्ति :—** सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी. सम्मान/पुरस्कार हेतु राशि रु. 1.00 लाख एवं अन्य व्यय हेतु राशि रु. 1.00 लाख अर्थात् कुल राशि रु. 2.00 लाख मात्र व्यय होगी.

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :—** राज्य शासन, संस्कृति विभाग को सम्मान नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव, संस्कृति विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी, ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, का निराकरण के अधिकार भी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग में वेष्ठित होंगे.

12. **अन्य दायित्वों का निर्वहन :—** चयनित व्यक्ति के छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों/कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी जिसमें सम्मान के उद्देश्य, स्वरूप, सम्मान प्राप्त के विवरण आदि का समावेश होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 जुलाई 2023

क्रमांक एफ 1-08/2022/दो-गृह/भापुसे.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14-02-2023 द्वारा श्री पुष्कर शर्मा (सीजी-2018), पुलिस अधीक्षक नारायणपुर (छ.ग.) को आवंटन वर्ष 2018 से 04 वर्ष की सेवा दिनांक 01-01-2022 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-3 तथा भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 6(ए)(3) में निहित प्रावधान के तहत, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक 26-09-2022 से वरिष्ठ वेतनमान (अनुसूची-III वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 रु. 67,700-02,08,700) प्रदान किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश दिनांक 14-02-2023 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री पुष्कर शर्मा, (सीजी-2018), को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण (Pass) करने की वास्तविक तिथि अर्थात् दिनांक 24-06-2023 से वरिष्ठ वेतनमान (अनुसूची-III वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 रु. 67,700-02,08,700) प्रदान किया गया है.